L. A. BILL No. LIV OF 2023.

A BILL

TO ENACT A LAW TO UNIFY, CONSOLIDATE AND AMEND THE LAWS RELATING TO THE SELF-FINANCED PRIVATE UNIVERSITIES IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF SELF-FINANCED PRIVATE UNIVERSITIES IN THE STATE, FOR DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५४ सन् २०२३ ।

महाराष्ट्र राज्य में स्ववित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधियों में एकरुपता लाने, समेकन करने और संशोधन करने के लिए विधि अधिनियमित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए राज्य में स्ववित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन और विनियमन करने के लिए उपबंध करने तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में स्ववित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधियों में एकरुपता लाने, समेकन करने और संशोधन करने के लिए नया विधि अधिनियमित करने और राज्य में

उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए राज्य में स्ववित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन और विनियमन करने के लिए उपबंध करना तथा उससे संबंधित या उससे आनुषांगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, २०२३ कहलाए ।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

परिभाषाएँ ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " अकादमिक परिषद " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद से है ;

(ख) " अनुबद्ध प्राध्यापक ", " अनुबद्ध सहयुक्त प्राध्यापक " या " अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त की अवधि के दौरान इस प्रकार पदाभिहित किया है, से है ;

(ग) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(घ) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २८ के अधीन गठित किये गये प्रबंध मंडल बोर्ड से है ;

(ङ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन वह स्थापित किया गया है ;

(च) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों की सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, उद्योग से सहयोग में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र या उद्योग या समाज के लाभ के लिये और संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये स्थापित से है ;

(छ) " दूरस्थ और ऑनलाईन शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(ज) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(झ) " विद्यमान विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, अनुसूची के भाग एकमें विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय से है ;

(ञ) " विशेषज्ञीय समिति " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन गठित महाराष्ट्र में नए निजी विश्वविद्यालयों की संस्थापना में बढावा देने, सुकरता लाने और सहायता करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित विख्यात व्यक्तियों की समिति से है ;

(ट) " संकाय " का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है ;

(ठ) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(ड़) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ढ़) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २७ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ण) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(त) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रो से है ;

(थ) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(द) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ध) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों, या, यथास्थिति, विनियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(न) " अध्यक्ष " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से है जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होगा ;

(प) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(फ) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए नियमों से है ;

(ब) " अनुसूची " का तात्पर्य, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है ;

(भ) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(म) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में, " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य,-

सन् १८६० का २१ ।

(एक) संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था ; या

सन् १९५० का २९ ।

(दो) महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास ;

सन् १९५६ का १ ।

या

सन् २०१३ का ८ ।

(तीन) कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा २५ के अधीन स्थापित किसी शैक्षिक संस्था या कंपनी अधिनियम, २०१३ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी से है ; सन् २०१३ का अधिनियम क्रमांक ८ ।

(य) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र से है ;

(यक) " परिनियम आर्डिनन्सों ", तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन विहित किए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(यख) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(यग) " अध्ययन केन्द्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिये या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य किसी सहायता देने के लिये स्थापित और पोषित या मान्यताप्राप्त केन्द्र से है ;

(यघ) " अध्यापक " का तात्पर्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या सहयुक्त प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(यङ) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, इस अनुसूची में उल्लिखित निजी स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों से है ।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट।

३. (१) इस अधिनियम के अधीन स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की इच्छुक शैक्षणिक क्रियाकलाप संचालित करनेवाला कोई प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपीआर) सहित आवेदन ऐसी रित्या और ऐसी प्रक्रिया फीस के साथ, सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी जैसा कि सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित किया जाये ।

(२) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपीआर) में, निम्नलिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :–

(एक) उप-धारा (१) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करनेवाली प्रायोजक निकाय के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, गठन और उपविधीयों की प्रतिलिपियों सहित ब्यौरे ;

(दो) शैक्षणिक क्रियाकलाप करनेवाली विद्यमान निजी संस्थाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखों के साथ प्रायोजक निकाय के वित्तीय स्त्रोतों के बारे में या नवीन स्थापित प्रायोजित निकाय के लिए चार्टड अकाउंटंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित वित्तीय स्त्रोतों के लिए संचारण योजनाओं की जानकारी ;

(तीन) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और मुख्यालय ;

(चार) विश्वविद्यालय के उद्देश्य ;

(पाँच) भूमि की उपलब्धता और भवन और मूलभूत सुविधाएँ, यदि पहले से ही विद्यमान हैं तो उनका ब्यौरा ; या स्थानीय तथा राज्य निकायों के लागू विनियमों के अनुपालन में भूमि अर्जन, भवन संनिर्माण और मूलभूत सुविधाओं की मास्टर योजना ;

(छह) प्रायोजक निकाय के निपटान के लिए अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारीवृन्द, यदि कोई हों, समेत अकादमिक सुविधाओं की प्रस्तावित योजना और उपलब्धता ;

(सात) विश्वविद्यालय के कार्यारंभ करने से पहले शुरु की जानेवाली केम्पस के विकास की योजना जैसे कि भवनों का संनिर्माण, संरचनात्मक सुखसुविधाओं और मूलभूत सुविधाओं का विकास और उपस्करों का प्रसंस्करण आदि और पहले पाँच वर्षों के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा ;

(आठ) अगले पाँच वर्षों के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय और उसके वित्तीय स्त्रोत ;

(नौ) विश्वविद्यालय द्वारा शुरु किये जाने के लिए प्रस्तावित अध्ययन और अनुसंधान कार्यक्रमों का स्वरुप और प्रकार और राज्य के विकासात्मक लक्ष्य और रोजगार जरूरतों से उनकी सुसंगता और पाठ्यक्रमानुसार नामांकन लक्ष्य के साथ पहले पाँच वर्षों के लिए ऐसे कार्यक्रमों की स्थिति ;

(दस) प्रायोजक निकाय के समादेश में संबंधित शिक्षण क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता ;

(ग्यारह) शुरु किए जाने के लिए प्रस्तावित सुविधाओं, पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्य का स्वरुप ;

(बारह) पाठ्यक्रमनुसार या क्रियाकलाप के अनुसार अनुमानित आवर्ती व्यय, वित्त के स्त्रोत, और प्रति छात्र अनुमानित व्यय ;

(तेरह) स्त्रोतों के संचारण की योजना और उसकी पूंजी लागत और ऐसे स्त्रोतों के प्रतिसंदाय की रीति ;

(चौदह) छात्रों से फीस की वसूली के जरिए आन्तरिक रूप से निधि उभारने के लिए योजना, परामर्शी सेवाओं और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापों से पूर्वानुमानित राजस्व, और अन्य पूर्वानुमानित आय ;

(पंद्रह) स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय, विशेष उपबंध के जरिए समाज के कमजोर वर्ग के राज्य के अधिवासी के लिए समर्थक योजना बनायेगा तथा इस सम्बंध में सकारात्मक कार्यवाही करेगा ;

(सोलह) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों मे प्रवेश के लिए छात्रों के चयन के लिए अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित पद्धति ;

(सत्रह) क्या ! विश्वविद्यालय ने स्थानीय आवश्यकता से संबंधित कुछ कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव रखे हैं । यदि ऐसा है तो, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा शुरु किये जा रहे विशेषज्ञ अध्ययन, प्रशिक्षण या अनुसंधान के स्वरुप ;

(अठारह) क्या ! विश्वविद्यालय ने किसानों, कृषि श्रमिकों, अन्य श्रमिकों, महिलाओं और उद्योगों के हित के लिए कुछ कार्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव रखा है। यदि ऐसा है तो, उसका ब्यौरा दिया जा सकता है ;

(उन्नीस) खेल और क्रीड़ा और राष्ट्रीय केडेट कोर (एन.सी.सी.), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)आदि जैसे पाठ्येत्तर कार्यकलापों के लिए उपलब्ध या सृजित करने के लिए प्रस्तावित खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा ;

(बीस) अकादमिक लेखापरीक्षा के लिए किये जाने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था ;

(इक्कीस) प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के बारे में न्यायोचितता ;

(बाईस) विनियंत्रक निकाय के मानक अपनाने की प्रतिबद्धता ;

(तेईस) प्रायोजक निकाय ऐसे अन्य ब्यौरे दे सकेगी ;

(चौबीस) नियमों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य ब्यौरे देगी ;

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति और परीक्षण।

४. (१) सरकार, प्रायोजक निकाय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपीआर) के साथ विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव में अन्तर्विष्ट आवेदन की प्राप्ति पर सरकार के आदेश व्दारा गठित सुरक्षा समिति निम्न आधारों पर, प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की संविक्षा करेगी, अर्थात् :—

(क) प्रायोजक निकाय की वित्तीय विश्वस्तता और आस्तियाँ तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय की मूलभूत सुविधायें स्थापित करने की उसकी क्षमता ;

(ख) प्रायोजक निकाय की पृष्ठभूमि अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता और अनुभव, उसकी सामान्य ख्याती आदि, और विनियामक निकाय के मानक अपनाने की उसकी प्रतिबद्धता;

(ग) पेश किये जाने के लिये प्रस्तावित अकादमिक पाठ्यक्रमों की संभाव्यता अर्थात् समसामायिक मांगों की अपेक्षाओं के अनुसार मानव विद्ग्धता विकसित करने के लिए अकादमिक कार्यक्रम की क्षमता; प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में यथा परिभाषित कार्यक्रमों मे नवीनता इसमें सम्मिलित हो ।

(घ) प्रस्ताव, संबंधित विनियामक निकाय व्दारा विनिर्दिष्ट शिक्षा मानकों के अनुकूल है;

(ङ) क्या प्रस्ताव सरकार व्दारा समय-समय पर इस निमित्त जारी आदेशों के अनुकूल है।

(२) उप-धारा (१) के अधीन प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की संविक्षा करते समय सुरक्षा समिति, प्रायोजक निकाय से ऐसी अन्य जानकारी मंगा सकेगी, जैसा वह उचित समझे ।

(३) सुरक्षा समिति, सुझावों के साथ. यदि कोई हो, विचारार्थ सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आशय पत्र और अनुपालन रिपोर्ट जारी करना ।

५. (१) धारा ४ के अधीन गठित समिती की रिपोर्ट की प्राप्ती के बाद, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय स्थापित करना उचित है तो वह, आशय पत्र जारी कर सकेगी और प्रायोजक निकाय सें,–

(क) धारा १३ के उपबन्धों अनुसार स्थायी निधि स्थापित करने की ;

(ख) यह दर्शाते हुए हक विलेख प्रस्तुत करने कि, प्रायोजक निकाय का सरकार व्दारा, नियमों व्दारा विहित मानकों के अनुसार न्यूनतम भूमि पर स्वामित्व है या पर कब्जा है,

(ग) ऐसी अन्य शर्तें पूरी करने तथा ऐसी अन्य जानकारी का उपबन्ध करने जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विधि व्दारा स्थापित कोई अन्य कानूनी निकाय विनिर्दिष्ट कर सके ;

(घ) यदि पहले उपबन्ध न किये गये हो तो प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये तथा अकादमिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए नियमों व्दारा विहित मानकों के अनुसार आच्छादित स्थल का संनिर्माण करना ;

(ड़) विनियामक निकाय व्दारा अधिकथित मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय व्दारा शुरू किये जाने वाले प्रत्येक विभाग या संकाय में आचार्य, उपाचार्य तथा आवश्यक सहायक कर्मचारीवृन्दों के साथ पर्याप्त संख्या में प्राध्यापकों की नियुक्ति करने का वचन देने;

(च) विनियमनकारी निकायों व्दारा अधिकथित मानकों के अनुसार छात्रों के हित के लिए सेमिनार, वादविवाद, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जैसे पाठ्यचर्या के साथ की गतिविधियाँ तथा खेल, क्रीडा, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), आदि जैसे पाठ्यचर्या से इतर गतिविधियाँ कराने का वचन देने ;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारीयों के लिए भविष्य निर्वाहनिधि स्थापित करने तथा कल्याण कार्यक्रम शुरु करने का वचन देने ;

(ज) ऐसे अन्य शर्ते पूरा करने और ऐसी अन्य सूचना का उपबन्ध करने और विनियामक निकाय द्वारा जैसा कि अधिकथित किया जाए या नियमों द्वारा विहित किया जाए करना ।

(२) प्रायोजक निकाय, उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और शर्तो को पूरा करेगी और आशय-पत्र जारी होने के दिनांक से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर, सरकार को अनुपालन रिपोर्ट देगी। सरकार, असाधारण परिस्थितियों में उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी फीस की अदायगी पर, सरकार द्वारा जारी आदेश द्वारा उक्त अवधि विस्तारित कर सकेगी।

(३) अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार अनुपालन रिपोर्ट सत्यापित करने के लिए, यथा विनिर्दिष्ट एक समिति नियुक्त करेगी।

(४) उक्त सत्यापन समिति, अपने गठन के दिनांक से एक महीने के भीतर सरकार को यह विनिर्दिष्ट करते हुए, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि प्रायोजक निकाय ने, उप-धारा (१) में अधिकथित अपेक्षाएँ और शर्तें पूरी की है या नही की है,। तथापि, सरकार उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि अधिकतम तीन महीने की अवधि तक बढा सकेगी।

(५) यदि, प्रायोजक निकाय उप-धारा (१) के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल होती है तो, धारा ३ के अधीन सौपा गया उसका प्रस्ताव खारिज होगा और उप-धारा (१) के अधीन जारी किया गया आशय-पत्र वापस लिया गया समझा जायेगा।

६. (१) धारा ५ की उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर या विचार करने के बाद कि प्रायोजक निकाय ने, धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है, सरकार यदि उसका समाधान हो जाता है तो अनुसूची के भाग दो में निजी विश्वविद्यालय का नाम, उसका स्थान, मुख्यालय और प्रायोजक निकाय के ब्योरे के समावेशन द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की अनुमति दे सकेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन।

(२) अध्यक्ष, कुलपति और शासी निकाय के सदस्यों, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर रहेंगे या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी, एतद्द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट नाम द्वारा निगमित निकाय गठित और घोषित होंगे।

(३) विश्वविद्यालयों का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) अनुसूची के भाग एक के स्तंभ (२) और (४) में क्रमश: विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय और उसके प्रायोजक निकाय के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से उक्त भाग के स्तंभ (३) में फिर से विनिर्दिष्ट नाम से तत्सम विश्वविद्यालय के तत्काल पूर्व जो गठित हुआ था के उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जायेगा और इस अधिनियम के उपबंध ऐसे विश्वविद्यालय को लागू होंगे।

(५) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा ।

(६) प्रत्येक विश्वविद्यालय, अपनी स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) से प्रत्यायन प्राप्त करेगा ।

(७) प्रत्येक विश्वविद्यालय, नियमित आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया और कलिक बाह्य जोऱ पुनरीक्षण के लिए राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद द्वारा यथा अपेक्षित आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित करेगा । गुणवत्ता रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जायेगी ।

७. (१) सचिव स्तरीय समिति उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के सचिवों से मिलकर बनेगी, विश्वविद्यालय की स्थापना कें बाद, वह इस अधिनियम तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबधों के और विश्वविद्यालय के प्रचलन में विनिर्दिष्ट पत्र में विनिर्दिष्ट विश ववियालय के पत्र से संबंधित आवश्यकतोओं और उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरदायित्व के उद्देशोंका क्या प्रायोजिक निकाय ने अनुपालन किया है उसका सत्यापण करेगी । सचिव स्तरीय समिति।

(२) उप-धारा (१) के अधीन समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

८. इस अधिनियम की धारा ५७ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति, जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित कर सकेगी। सचिव स्तर समिति द्वारा निरीक्षण।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

९. (१) विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न अनुसार होंगे,–

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान और उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में विकास जिसमें मुक्त कला मानविकी सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो-विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रौद्यागिकी, प्रबंधन, विधि, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचनात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय बहुशाखीय अध्ययन और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में कला, क्रीडा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान अनुदेश, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन के लिए सर्जनात्मकता, नवीनता और उद्योग उपक्रम को बढावा देने के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिती तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना ;

(झ) इक्किस वी सदी में व्यक्ति तथा समाज के लिये अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास, संगठन और सामाजिक-आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करने के शासन और प्रबंधन करने के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ;

(त्र) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) नव अभिनव दृष्टिकोण के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्याकंन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) सर्जनात्मक तथा उद्यमीता के विकास और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा, और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं मे सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवअभिनव दृष्टिकोण को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

सन् १९८७ का ५२। सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद १९८७ के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना ।

(२) सरकार, **राजपत्र** में जारी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विशेष उद्देश्यों को अधिसूचित करेगी ।

(३) उप-धारा (२) के अधीन जारी अधिसूचना राज्य विधान मंडल के समक्ष रखेगी ।

१०. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :— विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

(एक) ऑनलाईन शिक्षा पद्धति समेत परम्परांगत साथ ही साथ नवअभिनव परिवर्तन पद्धतियों, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, श्रेयांक तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित करना तथा लेना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में शैक्षणिक सुविधाओं को प्रचारित करने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्परिक प्रतिग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं को देना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में पारस्पारिक के आधार पर दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमो में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिती करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार महाविद्यालयों, संस्थाओं, परिसर मुक्त केंद्रों, समुद्री पार परिसर और अध्ययन केंद्रों को स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस और अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम वा स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्पारिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, परिश्रमिक, मानदेय का अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों और अन्य वास-सुविधाओं को छात्रों के आवास के लिए मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और किसी ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना ;

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) समय-समय से विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहमत किया जाए ऐसे प्रयोजनों के लिये उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देशों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय को सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तैतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ।

विश्वविद्यालय सब के लिये खुला रहेगा।

११. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे नागरिकों के वर्गों (एसइबीसी) और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा ।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

१२. इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा और विश्वविद्यालय में प्रवेशित कोई छात्र राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति या फीस की प्रतिपूर्ति के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

विन्यास निधि।

१३. (१) प्रायोजित निकाय, सरकार द्वारा जारी आदेश द्वारा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रकम के साथ विश्वविद्यालय के लिए, विन्यास निधि स्थापित करेगी।

(२) विन्यास निधि इस अधिनियम और नियमों, ऑर्डिनेन्स या विनियमों, या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के कराई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रूप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम और नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या विनियमों के उपबंधों, का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रीत्या समपहृत करने की शक्तियाँ होगी ।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, संयुक्त धारक के रुप में उच्चस्तर शिक्षा के निदेशक से राष्ट्रीयकृत बैंक में विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है तब तक, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि से इसप्रकार निवेशित रकम सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

साधारण निधि ।

१४. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श से तथा हाथ में लिए गए, अन्य कार्य से प्राप्त कोई आय ;

(घ) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान, तथा ;

(ड़) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ ।

सामान्य निधि का उपयोग ।

१५. सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

१६. विश्वविद्यालय के, निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(ख) कुलपति ;

(ग) संकायाध्यक्ष ;

(घ) रजिस्ट्रार ;

(ड़) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(च) परीक्षा नियंत्रक ; और

(छ) विश्वविद्यालय के सेवा में ऐसे अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष ।

१७. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि, नियमों और विहित किये गये विनियमों द्वारा किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा ।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा २० के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्यक्ष को हटाना।

१८. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी, –

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन कार्यवाही का सहारा लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा ।

१९. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विरचित नियमों या विनियमों के अनुसार गठित खोजबीन नि चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे पात्रता मानदण्ड़ पूरी करने वालि तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर, तीन व्यक्तियों के एक पॅनल से, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और धारा (२०) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा : कुलपति।

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा ।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, ऑर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह निर्णय के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय, का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

२०. कुलपति को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,— कुलपति को हटाना।

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, कुलपति को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन कार्यवाही का सहारा लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा ।

संकायाध्यक्ष।

२१. (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों संकायाध्यक्ष और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सोंपे जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

रजिस्ट्रार।

२२. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा ।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा । विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

२३. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रमुख अधिकारी होगा । वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परीक्षा नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा ।

(४) परीक्षा नियंत्रक, निम्न के लिये जिम्मेदार होगा ;

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(घ) परीक्षा संबंधित उम्मीदवारों, पेपर सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर, पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ;

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए ।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी ।

२४. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी ।

२५. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा ।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

२६. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण ।

शासी निकाय ।

२७. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये दो व्यक्ति ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि; और

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों परिनियमों, आर्डिनेन्स या विनियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी ।

प्रबंध मंडल।

२८. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी ।

अकादमिक परिषद।

२९. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

३०. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रमुख प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.– इस धारा और धारा ४४ के प्रयोजनों के लिए, 'परीक्षाओं की अनुसूची ' की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्भण के बारे में दी गई ब्योरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक	. .	सदस्य :
(ग) एक सहयोजित मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य :
(घ) परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य-सचिव ।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

अन्य प्राधिकरण ।

३१. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ ।

३२. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,— निरर्हता ।

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(ख) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(ग) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुड़ा हुआ है; या

(घ) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

३३. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी । विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहीयाँ अधिमान्य नहीं होगी ।

३४. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, जिस सदस्य का पद रिक्त हुआ है उस सदस्य के स्थान में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नामनिर्देशित करके यथासंभव शीघ्र ऐसी रिक्ति भरी जायेगी; और अस्थायी रिक्ति भरने के लिये इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या निकाय को जिस सदस्य के स्थान में इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है ऐसे सदस्य की शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा। अस्थायी रिक्तियों को भरणा ।

३५. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे। समितियाँ ।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

३६. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रथम परिनियम ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय- समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाली फीस के संबंध में उपबंध ।

(३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे खंड (४) पुनःक्रमांकित करकें, उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार महिने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

पश्चातवर्ती परिनियम।

३७. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय पश्चातवर्ती के पश्चातवर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग को बंद करना या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को शुरू करना ;

(च) पदों का सृजन और पदों के समापन की प्रक्रिया करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन; और

(एक) परिनियमों द्वारा विहित किए जानेवाले इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामलें है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जायेंगे।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम में किसी संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, अकादमिक परिषद से परामर्श के बिना, छात्रों के अनुशासन और अध्यापन, शिक्षा तथा परीक्षा के मानक पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम ऑर्डीनेन्स।

३८. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम ऑर्डिनेन्स, शासी निकाय और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(२) इस अधिनियम और या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पदों की शर्तों और नियुक्तियों की रीति तथा कर्तव्यों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ;

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

पश्चातवर्ती ऑर्डीनेन्स।

३९. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से, अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे ।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

विनियम ।

४०. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम और नियमों, तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के उपबंधों से संगत विनियम बनाएँगे ।

प्रवेश ।

४१. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश, गुणागुण के आधार पर कराई से किये जायेंगे ।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के ज़रिए होंगे।

(३) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े प्रवर्गों, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) से संबंध रखनेवाले और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी ।

(४) महाराष्ट्र राज्य का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखी जायेगी।

फीस नियतन समिति।

४२. (१) विश्वविद्यालय, उसमें के प्रस्तुत किये जानेवाले विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिये फीस संरचना का विचार करने के लिये एक फीस नियतन समिति गठित करेंगा । ऐसे फीस नियतन समिति द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया और उसका गठन, परिनियमों द्वारा विहित किया जाये ऐसा होगा ।

(२) समिति, यह विचार करने के पश्चात् फीस संरचणा तैयार करेगी या अंतिम करेगी चाहे प्रस्तावित फीस,

(क) के लिये पर्याप्त,–

(एक) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय चुकाने के लिये स्रोतो का निर्माण करना ; और

(दो) विश्वविद्यालय के अतिरिक्त विकास के लिये आवश्यक बचत करना ;

(ख) अपर्याप्त न हो ; और

(ग) रकम लाभदायक न हों ।

(३) सरकार को, विश्वविद्यालय को फीस संरचना की समीक्षा करने की शक्ति होंगी और ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी फीस संरचना की औचित्यता से संशोधन करने के निर्देशों को विश्वविद्यालय को जारी करेगी ।

(४) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेनेवाले पिछडे वर्ग से संबंधित छात्रों के लिये कोई वित्तिय दायितत्वता नहीं लेगी और कोई फीस वापस नहीं देगी ।

(५) विश्वविद्यालय इस धारा के अधीन जो हकदार है उसके लिये से भिन्न कोई फीस प्रभार्य नहीं करेगी चाहे जो भी काम हों ।

प्रतिव्यक्ति फीस का प्रतिशोध।

४३. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी।।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, प्रबंधनमंडल नगद या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि, परोपकारी व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधनमंडल ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी। जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति रीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति रीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे । सन् १९८८ महा. ६।

परीक्षाओं की समय सारणी।

४४. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून सें पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

परिणामों की घोषणा ।

४५. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट

प्रस्तुत करेगा । सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने धारा ४४ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होगी ।

दिक्षांत समारोह ।

४६. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रित्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्ययन ।

४७. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद **(नॅक),** बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नॅक) द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।

४८. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी । अनुसरण करेगा ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४९. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधनमंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और लेखा संपरीक्षा ।

५०. (१) प्रबंधनमंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन लेखा और तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक विकास को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधिन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत कि जाएगी ।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसके अनुपालन के लिए सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

सरकार की प्रभाव की शक्तियाँ ।

५१. (१) सरकार इस अधिनियम और या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के उपबंधों को कार्यान्वियत करने या का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश जारी कर सकेगी ;

(२) सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य की किसी भी समय, ऐसी जाँच की पूर्व सूचना देने के बाद, जाँच करने के लिए समिति नियुक्त कर सकेगी ;

(३) सरकार विश्वविद्यालय को उप-धारा (२) के अधीन नियुक्त समिति द्वारा दर्शायी गयी त्रुटियों या गलतियों का समयबद्ध अनुपालन या परिशोधन करने के निदेश जारी कर सकेगी।

(४) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नियमों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रिति में मामला निर्धारण करेगी।

(५) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिती के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(६) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (५) के अधीन की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।

५२. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विद्यटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्यविधी के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगे :

कतिञ परिस्थितियों में राज्य सरकार का विशेष शक्तियाँ ।

५३. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओ नोटीस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिय गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना ; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाये।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा। सन् १९७४ का २।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिसकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनयमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है, धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्याय के अकादमिक मानकों के आशंकाओं से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधन बोर्ड के सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंधन तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(८) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के प्रश्चात्, प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सकरार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

दंड।

५४. इस अधिनियम के किन्ही उपबधों का उल्लंघन, यह अपराध होगा और धारा १६ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी तीन महिने से अनधिक परंतु एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकनेवाले अवधि के लिए कारावास और पचास हजार रुपयों से अनधिक परंतु जो पाँच लाख रुपयों तक बढाए जा सकनेवाले जुर्माने से दण्डित किया जायेगा :

परंतु, इस धारा में की कोई बात, इस अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया समेत, कोई कार्यवाही चाहे वह सिविल या दण्डिक हो शुरू करने से सरकार को नहीं रोकेगी।

कंपनीयों द्वारा अपराध।

५५. (१) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गये नियमों के अधीन जहाँ कंपनी द्वारा, अपराध किंया जाता है तब अपराध किये जाने के समय, कंपनी के कार्य संचालन साथ ही साथ कंपनी के प्रभारी या के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा तथा उसके विरूद्ध अभियोजन चलाने के लिए, दायी होगा और तद्नुसार, दण्डित किया जायेगा :

परंतु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित करता है कि, अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया था या ऐसा अपराध न हो इसलिए उसने सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन, कंपनी द्वारा अपराध काय जाता है और यह साबित होता है की अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है या की ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है तब ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या उस अपराध के लिए दोषी होगा तथा उसके विरूद्ध भी अभियोजन के लिए, वह दायी होगा और उसे तद्नुसार दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) " कंपनी " का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसमे न्यास, फर्म, समाज, एक संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है ; और

(ख) फर्म के संबंध में " निदेशक " का तात्पर्य.-

(एक) फर्म का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ;

(दो) समाज, न्यास, संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ, या व्यक्तियों का निकाय का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ, या, यथास्थिति, निकाय के कार्य के प्रबंधन के साथ समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ या निकाय के नियमों या उप-विधियों के अधीन हित रखता है ऐसे व्यक्ति से है। ",

नियम बनाने की शक्ति।

५६. (१) सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाश के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

अस्थायी उपबंध ।

५७. यदि इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक को या के पूर्व किसी विशिष्ट चरण पर तत्कालीन सरकारी आदेश या संकल्पों के अनुसार स्ववित्तपोषित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्रक्रिया पूरी की जाती है तब इस अधिनियम के प्रारंभण के पश्चात ऐसी प्रक्रिया इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे चरण से होगी ।

५८. (१) इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर तथा से,—

सन् २०१४ का महा. १३। (क) अमिटी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४;

सन् २०१४ का महा.१४। (ख) स्पाईसर ॲडवेटिंस्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४;

सन् २०१४ का महा. २। (ग) फ्लेम विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४;

सन् २०१५ का महा.३। (घ) अजिंक्य डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४;

सन् २०१५ का महा. ३८। (ड़) संदिप विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५;

सन् २०१५ का महा. ३९। (च) एमआईटी कला, डिझाईन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५;

सन् २०१७ का महा. ३५। (छ) डॉ. विश्वनाथ कराड एमआईटी जागतिक शांति विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६;

सन् २०१७ का महा. ३७। (ज) सिम्बायोसिस कौशल्य और खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१७;

सन् २०१७ का महा. ३८। (झ) विश्वकर्मा विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१७;

सन् २०१७ का महा. ३९। (त्र) डी. एस. के. जागतिक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१७;

सन् २०१७ का महा. ४०। (ट) संजय घोडावत विश्वविद्यालय, कोल्हापूर, अधिनियम, २०१७;

सन् २०१७ का महा. ६३। (ठ) डी. वाय. पाटील आंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुणे २०१७;

सन् २०१८ का महा. २९। (ड़) जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, अमरावती, अधिनियम, २०१८;

सन् २०१८ का महा. ३२। (ढ़) छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, पनवेल, अधिनियम, २०१८;

सन् २०१८ का महा. ७७। (ण) विजयभूमि विश्वविद्यालय, रायगड., अधिनियम, २०१८;

सन् २०१९ का महा. ५। (त) सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई अधिनियम, २०१९;

सन् २०१९ का महा. ६। (थ) डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे अधिनियम, २०१९;

सन् २०१९ का महा. १२। (द) श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, पुणे अधिनियम, २०१९;

सन् २०१९ का महा. १३। (ध) रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, नागपूर अधिनियम, २०१९;

सन् २०१९ का महा. २६। (न) एम. जी. एम. विश्वविद्यालय, औरंगाबाद अधिनियम, २०१९;

सन् २०२० का महा. ३६। (प) डी. वाय. पाटील कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, तलसंदे, कोल्हापूर अधिनियम, २०२०;

सन् २०२२ का महा. ३६। (फ) निकमार विश्वविद्यालय, पूणे अधिनियम, २०२२;

सन् २०२२ का महा. ३७। (ब) डॉ. पी. ए. इनामदार विश्वविद्यालय, पुणे अधिनियम, २०२२;

सन् २०२२ का महा. ३७। (भ) वैशिक एआई विश्वविद्यालय, कर्जत अधिनियम, २०२२;

सन् २०२३ का महा. ४। (म) जे. एस. पी. एम. विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२;

सन् २०२३ का महा. ५। (य) पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, पूणे अधिनियम, २०२२;

सन् २०२३ का महा. ३८। (यक) एम आई टी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय सोलापूर अधिनियम, २०२३;

सन् २०२३ का महा. ३९। (यख) डीइएस पूणे विश्वविद्यालय पूणे अधिनियम, २०२३;

निरसित किए जायेंगे ।

(२) उक्त अधिनियमों के निरसन के होते हुये भी,—

निरसन और व्यावृत्ति ।

(एक) इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्यपूर्व विद्यमान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पद धारण करनेवाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भण पर तत्स्थानी विश्वविद्यालय का कुलपति होगा तथा उक्त पद तब तक धारण करता रहेगा जब तक विद्यमान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती तथा उपर्युक्त अपनी पदावधि होने से पूर्व वह मृत्यू, त्यागपत्र या अन्य कारण से कुलपति बने रहने से परिविरत नहीं तथा वह इस अधिनियम द्वारा या के अधीन या तत्स्थानी विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रदत्त तथा अधिरोपित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा सभी कर्तव्यों का पालन करेगा ;

(दोन) इस अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व तत्काल गठीत किया गिया विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधिन तत्सानी विश्वविद्यालयका तत्सानी प्राधिकरण समझा जायेगा;

(तीन) इस अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व तत्काल दिनांक पर विद्यमान विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी का पद धारण करनेवाला प्रत्येक व्यक्ती उसी निबंधन और शर्तोंनपर पद धारण करके नियमित रहेगा जहा ऐसी दिनांक के पूर्व तत्काल उसे लागू हो और इस अधिनियम द्वारा या के अधिन उसपर प्रदत्त ऐसी शक्तीयोंका प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्योंका निर्वदन करेगा ;

(चार) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की समस्त जंगम या स्थावर संपत्ति तथा समस्त अधिकार, हित चाहे वह किसी भी प्रकार के हों, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार, तत्स्थानी विश्वविद्यालय को अंतरित हो जायेगी तथा अगले हस्तांतरणपत्र के बिना, उसमें निहित होंगे तथा उन उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को लागू होंगे जिनके लिए तत्स्थानी विश्वविद्यालय का गठन किया गया है ;

(पाँच) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भण से पूर्व, स्वीकृत या ग्रहण की गई तथा धारित समस्त उपकृति इस अधिनियम के अधीन तत्स्थानी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत, ग्रहीत या धारित समझी जायेंगी तथा ऐसी सभी शर्तें जिनके अनुसार ऐसी उपकृति स्वीकृत, ग्रहण की गई या धारण की गई थी इस बात के होते हुये भी, ऐसी शर्ते इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों से असंगत हो सकती है; इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य समझी जायेंगी ;

(छः) इस अधिनियम के प्रारम्भण से पूर्व उपगत तथा किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के विरुद्ध विधपूर्वक अस्तित्व में रहें समस्त ऋण, दायित्व तथा बाध्यता, तत्स्थानी विश्वविद्यालय द्वारा निर्वहन किए जाऐंगे तथा चुकाये जायेंगे ;

(सात) इस अधिनियम के प्रारम्भण से पूर्व बनाई गई कोई विल्ड विलेख या अन्य दस्ताऐवज जिसमें विद्यमान विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, दान, निबन्धन या न्यास अन्तर्विष्ट है, इस अधिनियम के प्रारम्भण पर तथा से उनका ऐसा अर्थ लगाया जायेगा मानो कि उसमें विद्यमान, विश्वविद्यालय के बजाय तत्स्थानी विश्वविद्यालय का नाम है ;

(आठ) किसी विश्वविद्यालय को किसी अधिनियमिति में या किसी अधिनियमिति के अधीन जारी किये गये अन्यलिखत में किए गए सभी निर्देश तत्स्थानी विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझे जायेंगे ;

(नौ) ऐसे अध्यापक जो, इस अधिनियम के प्रारम्भण से सद्यपूर्व किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के बारे में उक्त अधिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त अध्यापक थे, इस अधिनियम के अधीन या के प्रयोजनों के लिए तत्स्थानी विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त अध्यापक समझे जायेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन नई मान्यता अनुदत्त किये जाने तक, ऐसे मान्यताप्राप्त अध्यापक बने रहेंगे ;

(दस) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के बारे में उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये सभी नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्स या विनियम जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, जब तक इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों परिनियमों या अध्यादेशो द्वारा वे अतिष्ठित या उपांतरित नहीं होते है, प्रवर्तमान बने रहेंगे तथा उस विश्वविद्यालय की तत्स्थानी विश्वविद्यालय या, यथास्थिति, किसी अन्य प्राधिकरण तत्स्थानी विश्वविद्यालय के बारे में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जायेंगे ;

(ग्यारह) उक्त किन्ही अधिनियमों के अधीन किसी प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी या निर्गमित सभी सूचनाएँ तथा आदेश, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, जब तक उन्हें इस अधिनियम के अधीन अतिष्ठित या उपांतरित नहीं किया जाता है, प्रवर्तमान रहेंगे तथा तत्स्थानी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए या निर्गमित किये गए समझे जायेंगे :

परन्तु, इस धारा द्वारा निरसित तथा इस अधिनियम के प्रारम्भण के, सद्यपूर्व प्रवर्तमान किसी अधिनियम के अधीन बनाये गये या निर्गमित कोई परिनियम, ऑर्डिनेन्स, विनियम, नियम, सूचना या आदेश केवल इस कारण से इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत नहीं समझे जायेंगे कि इस अधिनियम के अधीन ऐसा परिनियम, विनियम, नियम, सूचना या आदेश बनाने या जारी करने की शक्ति भिन्न प्राधिकरण या निकाय अधिकारी में निहित है, या कि उसकी विषय वस्तु केवल इस अधिनियम के अधीन बनाये जानेवाले भिन्न प्रकार के अधीनस्थ विधान या लिखत में अनुज्ञेय है।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

५९. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है, तो कठिनाईयों राज्य सरकार, स्थिती के अनुसार, आदेश द्वारा, ऐसा कोई भी कार्य कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों या प्रयोजनों निराकरण होता है :

परंतु इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्ष की अवधि अवसित होने के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नही बनाया जाएगा ।

(२) उप धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जायेंगे ।

अनुसूची

भाग एक

(देखिए धारा ६(४)

अनु-क्रमांक	अधिनियम का नाम जिसके अधीन विश्वविद्यालय स्थापित किया है।	इस अधिनियम के अधीन तत्स्थानी विश्वविद्यालय के स्थान और मुख्यालय का नाम ।	प्रायोजक निकाय का नाम और पत्ता।
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	अमिटी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (२०१४ का महा. १३)	अमिटी विश्व विद्यालय, मुंबई-पूणे एक्सप्रेस वे भाटण पोस्ट सोभाटणे पनवेल ४१०२०६ । अधीन स्थापित अमिटी विश्वविद्यालय ।	रितनंद बलवेद शैक्षणिक प्रतिष्ठान (आरबीईएफ), इ-२७, डिफेन्स कॉलनी, नवी दिल्ली ११००२४ ।
२.	स्पाईसर ॲड़वेंटिस्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (सन २०१४ का महा. १४) के अधीन स्थापित स्पाईसर ॲडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय, पुणे	स्पाईसर ॲड़वेंटिस्ट विश्वविद्यालय, पुणे मुख्यालय-औंध रोड, गणेशखिंड पोस्ट, पुणे, महाराष्ट्र में ।	अश्लोक शैक्षणिक संस्था, पुणे।
३.	फ्लेम विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (सन २०१५ का महा. २) के अधीन स्थापित फ्लेम विश्वविद्यालय, पुणे ।	फ्लेम विश्वविद्यालय पुणे, मुख्यालय-लवाले, तालुका मुलशी, पुणे - ४११ ०४१ ।	उदारशिलता के लिए संस्थापना और प्रबंधन शैक्षणिक संस्था, पुणे ।
४.	अजिंक्य डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ । (सन २०१५ का महा- ३) के अधीन स्थापित अजिंक्य डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय पुणे ।	अजिंक्य डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय पुणे, मुख्यालय-डॉ. डी. वाय. पाटील नॉलेज केंद्र चा-होली बुद्रुक, व्हाया लोहगांव पुणे ४१२ १०५ ।	डॉ. डी. वाय. पाटील इन्फ्रा संस्थान ।
५.	संदिप विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ (सन २०१५ का महा. ३८) के अधीन स्थापित संदिप विश्वविद्यालय, नासिक ।	संदिप विश्वविद्यालय, नाशिक, मुख्यालय-त्रिंबक रोड, पोस्ट महिरावजी, तालुका और जिला नासिक - ४२२ २१३ ।	संदिप प्रतिष्ठान मुंबई ।
६.	एम.आय.टी. कला, डिझाईन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ (सन २०१५ का महा. ३९) के अधीन स्थापित एम.आय.टी. कला, डिझाईन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पुणे ।	एम. आई. टी. कला, डिझाईन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पुणे मुख्यालय-राजबाग लोणी-कालभोर, पुणे ।	महाराष्ट्र अभियांत्रिकी और शैक्षणिक अनुसंधान अकादमि, पुणे ।
७.	डॉ. विश्वनाथ कराड एम.आय.टी. जागतिक शांति विश्वविद्यालय, अधिनियम, २०१६ (सन २०१७ का महा. ३५) के अधीन स्थापित डॉ. विश्वनाथ कराड एम.आय.टी. जागतिक शांति विश्वविद्यालय, पुणे ।	डॉ. विश्वनाथ कराड एम.आय.टी. जागतिक शांति विश्वविद्यालय, पुणे, मुख्यालय - डॉ. विश्वनाथ कराड एम. आई. टी. जागतिक शांतता विश्वविद्यालय, पुणे ४११ ०३८ ।	महाराष्ट्र इंजिनीअरिंग और शैक्षणिक अनुसंधान अकादमि, पुणे ।
८.	सिम्बायोसिस कौशल्य और खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१७ (सन २०१७ का महा. ३७) के अधीन स्थापित सिम्बायोसिस कौशल्य और खुला विश्वविद्यालय ।	सिम्बायोसिस कौशल्य और व्यावसायिक विश्वविद्यालय पुणे सिम्बायोसिस कौशल्य और खुला विश्वविद्यालय मुख्यालय - किवले, पीसीएमसी क्षेत्र, पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे के सामने पुणे ।	सिम्बोयोसिस खुली शैक्षणिक संस्था ।

अनुसूची—जारी

९.	विश्वकर्मा विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ३८) के अधीन स्थापित विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, पुणे ।	विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, पुणे मुख्यालय - विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, सर्वे क्र. २/३/४ लक्ष्मीनगर कोंड़वा (बीके) पुणे - ४११ ०४८।	बन्सीलाल रामनाथ अगरवाल धर्मादाय न्यास
१०.	डी.एस.के. जागतिक विश्वविद्यालय, पुणे अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ३९) के अधीन स्थापित डी.एस.के. जागतिक विश्वविद्यालय ।	डी.एस.के. जागतिक विश्वविद्यालय, मुख्यालय सर्वे क्रमांक ५४/५५ फुरसुंगी, लोणी टोल नाका के नजदीक, पुणे सोलापूर-रोड, पुणे ४१२३०८।	डी. एस. के जागतिक शैक्षणिक परिषद ।
११.	संजय घोडावत विश्वविद्यालय कोल्हापूर, अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ४०) के अधीन स्थापित संजय घोडावत विश्वविद्यालय, कोल्हापूर।	संजय घोडावत विश्वविद्यालय कोल्हापूर, मुख्यालय संजय घोडावत विश्वविद्यालय अतिग्रे, तालुका हातकणंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र ४१६ ११८।	सौ. सुशिला दारचंद घोडावत धर्मादाय न्यास लोक न्यास के रुप में रजिस्ट्रीकृत है।
१२.	डी. वाय. पाटील आंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुणे अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ४३) के अधीन स्थापित डी. वाय. पाटील आंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुणे ।	डी. वाय. पाटील आंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुणे, मुख्यालय, डी. वाय. पाटील आंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर-२९ निगडी प्राधिकरण, आकुर्डी, जिला पुणे, महाराष्ट्र - ४११ ०४४ ।	डॉ. डी. वाय. पाटील प्रतिष्ठान ।
१३.	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, अमरावती, जी. एस. रायसोनी विश्वविद्यालय, अमरावती अधिनियम, २०१८। (सन् २०१८ का महा. २९) के अधीन स्थापित	जी. एच. रायसोनी, विश्वविद्यालय, अमरावती, मुख्यालय अमरावती, अंजनगांव-बारी रोड, अमरावती, ४४४ ७२७ ।	चैतन्य बहुउद्देशीय संस्था ।
१४.	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, पनवेल अधिनियम, २०१८ (सन २०१८ का महा. ३२ के अधीन स्थापित छत्रपति महाराज विश्वविद्यालय, पनवेल ।	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, पनवेल मुख्यालय - पुराना मुंबई-पुणे राजमार्ग, शेडुंग टोल नाका के पास, पनवेल ।	सें. विलफ्रेड शैक्षणिक संस्था ।
१५.	विजयभूमि विश्वविद्यालय, रायगड़ अधिनियम, २०१८ (सन २०१८ का महा. ७७) के अधीन स्थापित विजयभूमि विश्वविद्यालय, रायगड़।	विजयभूमि विश्वविद्यालय रायगड़ मुख्यालय विजयभूमि विश्वविद्यालय, जामरूग, तालुका कर्जत, जिला-रायगड़ महाराष्ट्र ।	विजयभूमि शैक्षणिक प्रतिष्ठान, ४४७, ४ बी मंजिल, १७ चिन्ह सेक्टर-चार एचएसआर लेआऊट, बंगलोर, इंडिया, ५६० ०३४।
१६.	सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई अधिनियम, २०१९ (सन २०१९ का महा. ५) के अधीन स्थापित सोमय्या विद्याविहार रोड, विश्वविद्यालय, मुंबई ।	सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई, मुख्यालय सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, विद्याविहार (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७।	(एक) सोमय्या विद्याविहार संस्था, सोमय्या भवन, ४५-४७, महात्मा गांधी फोर्ट, मुंबई ४०० ००१; (दो) के. जे. सोमय्या न्यास सोमय्या भवन, ४५-४७, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, और (तीन) सोमय्या न्यास सोमय्या भवन, ४५-४७, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट मुंबई ४०० ००१ ।

अनुसूची—जारी

१७.	डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे अधिनियम, २०१९ (सन २०१९ का महा. ६) के अधीन स्थापित डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे ।	डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे मुख्यालय डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, एम.आई.डी.सी. रोड, अम्बी, तालुका मावल, जिला पुणे ४१० ५०६ ।	(एक) राजवीर प्रतिष्ठान । सर्वे क्र. १२४ और १२६ डी. वाय. पाटील तकनीकी कॅम्पस, अम्बी एमआईडीसी रोड, मावल, तलेगांव दाभाडे महाराष्ट्र ४१० ५०६, और (दोन) डॉ. डी. वाय. पाटील शैक्षणिक अकादमी, पाटील भवन, आदर्श नगर एमआई जी कॉलनी के सामने वरली, मुंबई ।
१८.	श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, पुणे अधिनियम, २०१९ (सन २०१९ का महा. १२), के अधीन स्थापित श्री. बालाजी विश्वविद्यालय पुणे।	श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, पुणे, श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, मुख्यालय-सर्वे क्रमांक ५५/२-७, मुंबई बंगलोर बायपास के सामने ताठवडे ग्राम, तालुका - मुलशी, पुणे- ४११ ०३३, महाराष्ट्र।	श्री. बालाजी संस्था, डी. एस. पार्क ४८/२, १६/बी, मोहनवाडी, येरवडा, पुणे ४११ ००६।
१९.	रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, नागपूर अधिनियम, २०१९ (सन २०१९ का महा. १३) के अधीन स्थापित रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, नागपुर।	रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, नागपूर, मुख्यालय रामदेव बाबा विश्वविद्यालय, रामदेव टेकडी, काटोल रोड, नागपुर ४४० ०१३।	श्री. रामदेवबाबा सार्वजनिक समिति, नागपूर। श्री. रामदेव बाबा, कमला नेहरु, अभि-यांत्रिकी महाविद्यालय प्रशासकीय भवन, रामदेव टेकडी, काटोल रोड, नागपूर।
२०.	एम.जी.एम. विश्वविद्यालय, औरंगाबाद अधिनियम, २०१९ (सन् २०१९ का महा. २६) के अधीन स्थापित एम.जी.एम. विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।	एम.जी.एम. विश्वविद्यालय, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर), मुख्यालय-एम.जी.एम. विश्वविद्यालय, एन-६ सिडको, बाईजीपुरा, औरंगाबाद ४३१ ००३ ।	महात्मा गांधी मिशन, १२, भाग्य नगर, नांदेड ।
२१.	डी. वाय. पाटील कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय तलसंदे, कोल्हापुर, अधिनियम, २०२० (सन २०२० का महा. ३६) के अधीन स्थापित डी.वाय.पाटील कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, तलसंदे कोल्हापुर।	डी. वाय. पाटील कृषि और तकनीकी विश्व-विद्यालय, तलसंदे, कोल्हापुर मुख्यालय-गट क्रमांक १९९ और ८५ तलसंदे, कोल्हापुर।	डी. वाय. पाटील शैक्षणिक संस्था, ५ वी मंजिल, अरोरा टॉवर-९, मोलेडिना रोड, पुणे।
२२.	निकमार विश्वविद्यालय पूणे अधिनियम, २०२२ (सन २०२२ महा. ३६) के अधीन स्थापित निकमार विश्वविद्यालय ।	निकमार विश्वविद्यालय पूणे, मुख्यालय भवन क्र./प्लॉट क्र. २५/१, एनआईए पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, तालुका हवेली, जिला पूणे महाराष्ट्र ४११ ०४५	राष्ट्रीय सन्निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान संस्था वालचंद टेरेस, निचली मंजिल, ए.सी. बाजार के सामने, ताडदेव, मुंबई

अनुसूची—जारी

२३.	डॉ. पी. ए. इनामदार विश्वविद्यालय पूणे अधिनियम, २०२२ (सन २०२२ महा. ३७) के अधीन स्थापित डॉ. पी. ए. इनामदार विश्वविद्यालय पूणे ।	डॉ. पी. ए. इनामदार विश्वविद्यालय, मुख्यालय २३९०-बी.के.बी. हिदायतुल्ला रोड आझम परिसर कॅम्प, पुणे महाराष्ट्र ४११ ००१ जिला पूणे महाराष्ट्र ४११ ०४५	महाराष्ट्र सर्वव्यापी शिक्षण संस्था, पूणे २३९०-बी.के.बी. हिदायतुल्ला रोड, आझम परिसर कॅम्प पूणे ।
२४.	वैश्विक एआई विश्वविद्यालय कर्जत अधिनियम, २०२२ (सन २०२३ महा. ३) के अधीन स्थापित वैश्विक एआई विश्वविद्यालय पूणे ।	वैश्विक एआई विश्वविद्यालय, मुख्यालय कर्जत सर्वे क्र. ५४/१ से ५४/२७, ५५/०, ५७/०, ५८/०, ७/३, गाँव कुशविली, कुशविली, तालुका-कर्जत, जिला रायगढ़ ४१० ०२१	
२५.	जेएसपीएम विश्वविद्यालय, पूणे अधिनियम २०२२ (सन् २०२३ का महा. ४) के अधीन स्थापित जेएसपीएम विश्वविद्यालय, पूणे ।	जेएसपीएम विश्वविद्यालय, पूणे, गट क्रमांक ७१९/१ और ७१९/२, वाघोली, तालुका हवेली जिला पूणे महाराष्ट्र ४१२ २०७	जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडल, पूणे, शॉप क्र. ८० पूणे-मुंबई बायपास राजमार्ग ताथवडे, पूणे ।
२६.	पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, पूणे अधिनियम २०२२ (सन् २०२३ का महा. ४) के अधीन स्थापित पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, पूणे ।	पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, पूणे, गट क्र. ४४, ४६, ४८, ४९ और ५०, तालुका मावल, जिला पूणे महाराष्ट्र ४१२ २०६ ।	पिंपरी चिंचवड शैक्षणिक न्यास सेक्टर क्र. २६ प्राधिकरण, निगडी, पूणे-४११ ०४४ ।
२७.	एम.आई.टी. विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापूर अधिनियम, २०२३ (सन् २०२३ का महा. ३८) के अधीन स्थापित एम.आई.टी. विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापुर ।	एम.आई.टी. विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापूर मुख्यालय-एम.आई.टी. विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापूर, गट क्र. ६६/८,६७, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३/ख/८/१ और ७३/३/क केगांव ग्राम, सोलापूर-पुणे राजमार्ग, तालुका उत्तर सोलापुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र ४१३ २५५ ।	महाराष्ट्र अभियांत्रिकी और शैक्षणिक अनुसंधान अकादमि, पुणे सर्वे नं. १२४, सेवानिवृत्त सैनिक कॉलनी पोस्ट ऑफिस पौड रोड, कोथरूड, पुणे-४११ ०३८।
२८.	डी. ई. एस. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, अधिनियम, २०२३ (सन २०२३ महा. ३९) के अधीन स्थापित डीईएस पुणे विश्वविद्यालय, पुणे ।	डी. ई. एस. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, मुख्यालय मुकुंददास लोहिया अकादमी समूह, बीएमसीसी शिवाजीनगर, तालुका-हवेली, जिला-पुणे, पुणे-४११०००४।	डेक्कन शैक्षणिक संस्था, पुणे यह फर्ग्युसन महाविद्यालय परिसर, गेट नं. ४, शिवाजी नगर, पुणे-४११ ००४।

भाग दो

[देखिय धाराए ६ (१)]

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और मुख्यालय	प्रायोजक निकाय का नाम और पता
(१)	(२)	(३)
१	अलार्ड विश्वविद्यालय पुणे : अलार्ड विश्वविद्यालय पुणे, मुख्यालय सर्वे क्रमांक ४७ और ५०, अलार्ड नॉलेज पार्क, मरुनजी राजीव गांधी आई.टी. पार्क के पास, हिंजवडीं, पुणे ४११ ०५७।	अलार्ड धर्मार्थ न्यास, पुणे, सर्वे क्रमांक, ४७ और ५०, अलाई नॉलेज पार्क, मरुनजी, राजीव गांधी आई. टी. पार्क के पास, हिंजवडी, पुणे ४११ ०५७।
२	एस व्ही के एम एन एम आई एम एस वैश्विक विश्वविद्यालय, धुलिया । एस व्ही के एम एन एम आई एम एस वैश्विक विश्वविद्यालय, धुलिया। मुख्यालय, सर्वे क्र. ४९९/१ से ४-क/१ और ४९९/१ से ४-क/२, गुरूद्वारा के पिछे, मुंबई-आगरा राजमार्ग, तालुका धुलिया, जिला धुलिया ४२४ ००१।	श्री. विलेपार्ले केलवणी मंडल, एस व्ही के एम एन एम आई एम एस नया भवन, दसवी मंजिल पश्चिम विण्ग, व्ही. एल. मेहता मार्ग, विलेपार्ले (पश्चिम) मुंबई ४०० ०५६।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र सरकार, उच्चतर शिक्षा में अवसरों में सुधार लाने और उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्र द्वारा सक्रिय भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहित करने के इच्छुक होने से महाराष्ट्र राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के गठन को प्रोत्साहित करना इष्टकर समझती है ।

२. सरकार, उन निजी संस्थाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिन्होंने राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिये उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने में असाधारण ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित किया है ।

३. ऐसे निजी विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता देने की दृष्टि से, सरकार उनके गठन और कामकाज में न्यूनतम नियामक हस्तक्षेप करने का विनिश्चय करती है । तथापि, स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के व्यवस्थित गठन और उच्च स्तर की मुलभूत सुविधाओं और शैक्षणिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिये सरकार कुछ पर्यवेक्षी और नियामक शक्तियों को अपने पास रखना इष्टकर समझती है ।

४. वर्तमान में, राज्य के सभी स्व-वितपोषित विश्वविद्यालय अलग-अलग अधिनियमों द्वारा स्थापित किये गये हैं । ऐसे अलग-अलग अधिनियमों के उपबंध अधिकतर समान होते है, इसलिये, अलग-अलग अधिनियमों को अधिनियमित करने का प्रयोग करना अनावश्यक है । ऐसे अलग-अलग अधिनियम जो स्वयं विस्तृत होतें है, कानूनी पुस्तकों को भारी बनाते है, इससे ऐसे अलग-अलग कानूनी अभिलेख बनाए रखना कठिन होता है और यदि ऐसे अधिनियमों में संशोधन करना है, तो ऐसे अधिनियमों में एक साथ संशोधन करना होगा । भारत के कई राज्यों जैसे की आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगना आदि, ने प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय के लिये अलग-अलग राज्य अधिनियम अधिनियमित करने के बजाय, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और विनियमन के लिये उपबंध करने के लिये एक छत्र अधिनियम अधिनियमित करना होगा ।

इसलिये, महाराष्ट्र सरकार, अन्य राज्यों के ऐसे अधिनियमों की तर्ज पर, राज्य में स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों से संबंधित विधियों को एकीकृत, समेकित और संशोधित करने के लिये के एक छत्र अधिनियम अधिनियमित करना इष्टकर समझती है ।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

नागपुर :
दिनांकित १४ दिसंबर, २०२३ ।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड़ १(२).—इस खण्ड़ के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, जिस दिनांक पर यह अधिनियम प्रर्वृत्त होगा वह दिनांक नियत करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड़ ३.—इस खण्ड़ के अधीन, राज्य सरकार को,—

(क) उप-खण्ड़ (१).—के अधीन, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कोई आवेदन प्रस्तुत करने के लिये रीति और प्रक्रिया फीस, नियमों द्वारा विहित करने ;

(ख) उप-खण्ड़ (२).—चौबीस के अधीन **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा खंड ३ के उप खंड (२) में उपबंधित विशिष्टियों से अन्य ऐसे अन्य विस्तृत ब्यौरे विहित करने, की शक्ति प्रदान की गयी है।

खण्ड़ ५. (१)—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकारे को,—

(क) परिच्छेद (ख) के अधीन, न्यूनतम भूमि का स्वामित्व और कब्जा के संबंध में प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन किए जानेवाले मानकों को विहित करने ;

(ख) परिच्छेद (घ) के अधीन, प्रशासकीय प्रयोजन के लिए तथा अकादमिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एक आवेष्टित जगह का संनिर्माण करने के लिए प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानकों के विहित करने;

खण्ड़ ७ (३).—इस खण्ड़ के अधीन राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय संचालित करने की अनुमति **राजपत्र** में अधिसूचना जारी करने की, शक्ति प्रदान की गयी है, ।

खण्ड़ ९ (२).—इस खण्ड़ के अधीन राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालयों के विशेष परियोजनाओं को अधिसूचित करने की, शक्ति प्रदान की गयी है ।

खण्ड़ १० (बीस).—इस खण्ड़ के अधीन विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए फीस संरचना विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड़ १३ (३).—इस खण्ड़ के अधीन, राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम के या तध्दीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्ही उपबंधों के उल्लंघन के मामले में विन्यास निधि के अंशतः या पूर्णतः समहपन करने रीति विहित करने की शक्ति प्रदान की, गई है ।

खण्ड़ १७.—इस खण्ड़ के अधीन, राज्य सरकार को,

(क) उप-खण्ड़ (१) के अधीन, अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति नियमों द्वारा विहित करने;

(ख) उप-खण्ड़ (२) के अधीन, अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मानदण्ड नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड़ २१ (२).—इस खण्ड़ के अधीन, संकायाध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए जानेवाली शक्तियाँ और कृत्य विनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति विश्वविद्यालय को प्रदान की गई है ।

खण्ड़ २२ (५).—इस खण्ड़ के अधीन, विश्वविद्यालय को, रजिस्ट्रार की शक्तियाँ और कर्तव्यों को परिनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड़ २३.—इस खण्ड़ के अधीन, विश्वविद्यालय को,—

(क) उप-खण्ड़ (३) के अधीन, परीक्षा नियंत्रक के चयन करने के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव परिनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ;

(ख) उप-खण्ड़ (४) (च) के अधीन परीक्षा नियंत्रक की शक्तियाँ और कर्तव्यों को परिनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड़ २४.—इस खण्ड़ के अधीन, विश्वविद्यालय को,

(क) उप-खण्ड़ (२) के अधीन, मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधनों और शर्तों परिनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ;

(ख) उप-खण्ड़ (३) के अधीन, मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की, शक्तियाँ और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड़ २५(२).—इस खण्ड़ के अधीन, विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जैसा कि आवश्यक है ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबंधन और शर्ते परिनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड़ २७(३) (च).—इस खण्ड़ के अधीन, विश्वविद्यालय को, शासी निकाय की अन्य शक्तियाँ परिनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड़ २९(४).—इस खण्ड़ के अधीन, विश्वविद्यालय को, अकादमिक परिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति परिनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड़ ४२(१).—इस खण्ड़ के अधीन, गठन और फीस नियतन समिति द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित करने के लिये विश्वविद्यालय को, शक्ति प्रदान की गयी है ।

खण्ड़ ५१(४).—इस खण्ड़ के अधीन, राज्य सरकार को, अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से संबंधित कोई अन्य मामलों के मानकों के अभिनिश्चयन करने के प्रयोजन के लिए निर्धारण हेतू रीति नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है ।

खण्ड़ ५३.—इस खण्ड़ के अधीन, राज्य सरकार को,—

(क) उप-खण्ड़ (४) के अधीन, जिसमें अधिकारीको जाँच के किसी अन्य मामलों, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन समान शक्तियाँ सिविल न्यायालय में निहीत है तो नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गयी हैं ;

(ख) उप-खण्ड़ (९) के अधीन, राज्य सरकार को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा विश वविद्यालय के विघटन करने का अंतिम आदेश जारी करने की, शक्ति प्रदान की गयी हैं ;

खण्ड़ ५६(१).—इस खण्ड़ के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना जारी करने द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिए नियम बनाने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड़ ५८(१).—इस खण्ड़ के अधीन, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में उद्‌भूत कोई कठिनाई का निराकरण करने के लिए **राजपत्र** में आदेश जारी करने की, शक्ति प्रदान की गई है ।

२ विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है ।

(यर्थाथ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित १४ दिसंबर, २०२३।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा ।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.